भारत सरकार

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2134

बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>पूर्वोत्तर क्षेत्र में पीएम-कुसुम</u>

2134. श्री प्रद्युत बोरदोलोईः

श्री जयन्त बसुमतारीः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) असम में, विशेष रूप से बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में उक्त योजना के अंतर्गत ग्रिड से जुड़े सौर संयंत्रों की स्वीकृत और स्थापित क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या असम में इसके अंतर्गत स्वीकृत ऑफ-ग्रिड सौर पंपों में से कोई भी स्थापित किया गया है और यदि हां, तो विशेष रूप से बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेष रूप से असम में उक्त योजना के कार्यान्वयन में सुधार के लिए इसके प्रदर्शन की समीक्षा की है; और

(ङ) बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के बीच इस योजना के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए आयोजित किए गए जागरुकता अभियानों की संख्या का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) पीएम-कुसुम एक मांग आधारित योजना है। इस योजना के तहत राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (एसआईए) द्वारा सूचित की गई स्थापना की प्रगति और योजना दिशानिर्देशों के प्रावधानों के आधार पर निधियां जारी की जाती है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी निधियों का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख) असम राज्य द्वारा रखी गई मांग के अनुसार, राज्य को 10 मेगावाट की प्रारंभिक स्वीकृति दी गई, जिसे योजना के घटक क के तहत प्रगति न होने के कारण संशोधित कर, 2 मेगावाट क्षमता कर दिया गया। राज्य ने बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी स्थापना की प्रगति की सूचना नहीं दी है।

(ग) असम राज्य द्वारा रखी गई मांग के अनुसार, दिनांक 28.02.2025 की स्थिति के अनुसार, योजना के घटक-ख के अंतर्गत कुल 4,000 सौर पंप आवंटित किए गए हैं। तथापि, राज्य ने अब तक शून्य स्थापना की सूचना दी है।

(घ) असम राज्य सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राज्य कार्यान्वयन एजेंसी के साथ नियमित आधार पर समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। हाल ही में, दिनांक 14 फरवरी, 2025 को योजना में हो रही प्रगति की समीक्षा के लिए राज्यों के साथ व्यक्तिगत समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी।

(ङ) नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (नीपको) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत असम के बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में 32 स्थानों पर जागरुकता अभियान चलाया गया और होर्डिंग्स लगाए गए हैं।

अनुलग्नक

'पूर्वोत्तर क्षेत्र में पीएम-कुसुम' के संबंध में पूछे गए दिनांक 12.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2134 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) और सिक्किम को जारी की गई निधियों का विवरण
(दिनांक 28.02.2025 की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25 (दिनांक 28.02.2025 स्थिति के अनुसार)
1.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.82	2.12	1.30
2.	असम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	मणिपुर	0.00	0.36	0.00	0.23	0.17	0.17
4.	मेघालय	0.00	0.28	0.00	0.00	0.31	0.00
5.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.57
6.	नगालैंड	0.00	0.00	0.00	0.20	0.18	0.16
7.	त्रिपुरा	0.00	3.96	7.36	0.12	17.81	0.00
8.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*****